रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). अधिमान्य यातायात अनुसूची सामान्य आदेश के उपबंध सभी क्षेत्रीय रेलों पर समान रूप से लागू होते हैं। इन अनुदेशों के अनुपालन के लिए रेलों पर पहले ही आदेश विद्यमान हैं। इन अनुदेशों का अनुपालन न करने के संबंध में यदि कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में लायी जाय तो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उस की जाच की जाएगी।

अनाराचन्देल, भूरी पडेल और पुरुलिया स्टेशन पर रोकी गई यात्री गाड़ियां

1519. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाराचन्देल, भूरी पडेल तथा पुरुलिया स्टेशनों पर जनवरी के दौरान यात्री गाड़ियों अचानक ही क्रमशः 40 घंटे और 8 घंट तक रोकी गई थी, यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ख) गाड़िया रोकने में किन व्यक्तियों का हाथ था उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि उन के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गई है, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां पुरुलिया रेल सेवा सुधार परिषद् ने 17-9-81 से 19-1-81 तक थोड़ थोड़े समय के अन्तराल पर रेल पथ पर प्रदर्शन करने शुरू कर इस के परिणामस्वरूप चांडिल-आद्रा खंड पर 5 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं।

(ख) प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग तथा लाठी चार्ज करना पड़ा। 85 व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए थे।

द्वितीय श्रेणी का वापसी टिकट

1520. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1981 से द्वितीय श्रेणी के वापसी टिकट पर दी जाने वाली रियायत को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और इस रियायत के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को प्रत्येक श्रेणी में रियायत दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सामान्य दूसरे दर्जे के वापसी टिकटों पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। लेकिन, निर्धारित अवधियों के दौरान कुछ विशिष्ट पहाड़ी स्टशनों के लिए वापसी यात्रा के लिए रियायती टिकट जारी किये जाते थे। यह रियायत पहली फरवरी, 1981 से वापस ले ली गयी है।

(ख) भारतीय रेलों पर सामाजिक दायित्व से संबंधित उच्चस्तरीय समिति और रेल दर-जांच समिति ने, जिन्होंने अन्य बातों के साथ साथ-इस मामले की भी जांच की थी, यह विचार प्रकट किया कि पहाड़ी स्टेशनों के लिए रियायत की अनुमति देने के लिए कोई सामाजिक या वाणिज्यिक औचित्य नहीं है और इसे पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह

महसूस किया कि अवकाश बिताने के लिए पहाड़ी स्टेशनों पर जाने वाले अपेक्षाकृत अधिक आय वर्ग के लोग होते हैं और अपनी रेल यात्रा के लिए सामान्य किराये का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। समिति की सिफारिशों की जांच की गयी और सरकार द्वारा स्वीकार की गयी और यह विनिश्चय किया गया कि पहली फरवरी, 1981 से पहाड़ी स्थानों के लिए रियायती वापसी टिकट की सुविधा समाप्त कर दी जाय। वर्ष 1979 के दौरान पहाड़ी स्थानों के लिए जो रियायत दी गयी उसके कारण रेलों को 23.43 लाख रुपए की हानि हुई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Providing a stoppage of Dadar-Madras Express at Krishna

1521. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Telugu Vikasa Mandali, Govdevi Road, Ambarnath (District Thana), Maharashtra has vide their letter No. TVM/95/80-81 dated 12th December, 1980, requested the Railway Minister to Halt the 11 Dn and 12 Up, Dadar-Madras Express at "Krishna" Railway Station (South Central Railway);

(b) if so, what decision has been taken by Government in this regard; and

(c) if not, when the same is likely to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.

(b) The proposal for stoppage of 11/12 Dadar-Madras Express is under examination.

(c) Decision in this regard will be taken before the issue of April, 81 time table.

Memorandum against re-introduction of the Knor Brake system on E.M.U. stock

1522. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact, that on or around 12th October, 1980, about 96 motormen of the Central Railway, (working in Bombay Sub-urban area) have submitted a memorandum to the General Manager, Central Railway Bombay, against the proposed re-introduction of the 'Knor' Brake system on E.M.U. stock of sub-urban services;

(b) the salient points of the said representation;

(c) what decision Government have taken in this connection with reasons thereof; and

(d) if not, when a decision is likely to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.

(b) The salient points of the representation are as under:—

(i) The 'Knor Brake System' does not have the gradual release or application;

(ii) There are frequent failures of the Electro-Pneumatic and Auto Brake Systems;

(iii) The brakes do not come on immediately on moving the handle.

(c) and (d). The Government has asked the Research, Designs & Standards Organisation to look into these complaints and improve the equipment in consultation with the suppliers. A final decision will be taken on receipt of the report of RDSO.